प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 11 अगस्त, 2015**

विषयः- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के समस्त शिक्षकों के वेतन एवं भत्ते एस0जी0पी0जी0आई0 के समान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अपने पत्रांक-17709/बी-14, दिनांक 04.09.2014, पत्रांक-117, दिनांक 06.04.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय के सम्स्त शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए उनके वेतन एवं भत्ते एस0जी0पी0जी0आई0 के समान किये जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए उनके वेतन एवं भत्ते एस0जी0पी0जी0आई0 के समान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के शैक्षिक पदों को एस0जी0पी0जी0आई0 की भाँति तात्कालिक प्रभाव अर्थात इस शासनादेश के निर्गत् होने की तिथि से पुनर्गठित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतन बैण्ड /न्यूनतम वेतन एवं एकेडेमिक ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	पदनाम	वेतन बैण्ड/वेतन एवं एकेडमिक ग्रेड पे
1	2	3
1	प्रोफेसर	वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000 (न्यूनतम् वेतन रू0 51600/-) और एकेडमिक ग्रेड पे रू0 10,500/- उक्त पद पर चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एडिशनल प्रोफेसर) के पद पर चार वर्ष की सेवा करने वाले इस पद हेतु अर्ह होंगे।
2	प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एडिशनल प्रोफेसर)	वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000 (न्यूनतम् वेतन रू0 46000/) और एकेडमिक ग्रेड पे रू0 9,500/- उक्त पद पर चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। ऐसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तीन वर्ष की सेवा करने वाले इस पद हेतु अर्ह होंगे।
3	ऐसोसिएट प्रोफेसर	वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000 (न्यूनतम् वेतन रू0 42800/) और एकेडमिक ग्रेड पे रू0 9,000/- उक्त पद पर चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर तीन वर्ष की सेवा करने वाले इस पद हेतु अर्ह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		होंगे।
4	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 (न्यूनतम् वेतन रू0 30000/) और एकेडमिक ग्रेड पे रू0 8,000/- असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000 और एकेडमिक ग्रेड पे रू0 8,700/-

असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता का निर्धारण भारत सरकार के शासनादेश संख्या-वी0-16020/57/2008-एम0ई0-1, दिनांक 12 जनवरी, 2010 के अनुसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संकाय सदस्यों को प्रदान की जाने वाली नान प्रैक्टिस भत्ता, अधिकतम वेतन तथा अन्य सेवाशर्तें/ प्रक्रिया आदि का निर्धारण भी भारत सरकार के उक्त शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2010 के अनुसार ही किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान ढ़ांचे के अनुसार किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में कार्यरत पदधारकों का पुनर्गठित ढ़ांचे में समायोजन की व्यवस्था निम्नवत् होगीः

1. प्रवक्ता/ लेक्चरर पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पदधारकों को पुनर्गठित ढ़ांचे के अनुसार असिस्टेन्ट प्रोफेसर का पदनाम तथा वेतन बैण्ड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा। प्रवक्ता/ लेक्चरर के पदधारक की असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर वैयक्तिक प्रोन्नति के पश्चात् प्रवक्ता/ लेक्चरर का सम्बन्धित पद स्वतः समाप्त माना जायेगा। भविष्य में प्रवक्ता/ लेक्चरर के रूप में नियुक्ति नहीं की जायेगी।
2. वर्तमान ढ़ांचे में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत पदधारकों को पुनर्गठित ढ़ांचे के असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद हेतु निर्धारित वेतन बैण्ड एवं एकेडमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा।
3. वर्तमान ढ़ांचे में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के ऐसे पदधारक जिनके द्वारा इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें पुनर्गठित ढ़ांचे में ऐसोसियेट प्रोफेसर का पद एवं वेतन बैण्ड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा।
4. वर्तमान ढ़ांचे में ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत पदधारकों को पुनर्गठित ढ़ांचे के ऐसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु निर्धारित वेतन बैण्ड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा।
5. वर्तमान ढ़ांचे में ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत पदधारक द्वारा इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पुनर्गठित ढ़ांचे के अनुसार प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एडीशनल प्रोफेसर) का पदनाम तथा वेतन बैण्ड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा।
6. वर्तमान ढ़ांचे में ऐसोसियेट प्रोफेसर के इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पदधारकों को पुनर्गठित ढ़ांचे के अनुसार प्रोफेसर का पदनाम तथा वेतन बैण्ड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा।

4- उक्तानुसार पुनर्गठित ढ़ांचे के अनुसार अनुमन्य होने वाले वेतन बैण्ड/ वेतन और एकेडेमिक ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008 टीसी, दिनांक 29 जून, 2010 सपठित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस 2009-59(एम्)/2009, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

5- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ प्रथम परिनियमावली, 2011 में उपर्युक्तानुसार संशोधन पृथक से कर लिया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-679/दस-2015, दिनांक 05 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-69/2015/2381(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. वित्त् (वेतन आयोग)-1/2
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9. सहायक निजी सचिव, कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।